न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **08/2018 अपील रसद**

श्री शराफत खॉ पिता श्री बशारत खॉ मुसलमान, उचित मुल्य के दुकानदार साण्डमारिया–ए, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये जॉच दल जरिये प्रवर्तन निरीक्षक कोटड़ा, जिला उदयपुर

.....रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला रसद अधिकारी, द्वितीय उदयपुर मुकदमा नम्बर 60/2017 रसद तारीख फैसल 10.05.18 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थित– 1. श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री विजयसिंह, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 08.08.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उदयपुर जिले में उचित मुल्य दुकानो की जॉच हेतु खाद्य विभाग द्वारा गठित जॉच दल द्वारा अपीलान्ट शराफत खॉ की उचित मुल्य की दुकान साण्डमारिया तहसील कोटड़ा का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 21.07.17 को किया गया। जिसमें कुल 7 अनियमितताएॅ पायी जाना बताया। जिसमें दुकान पर स्टॉक व मुल्य बोर्ड प्रदर्शित नहीं था। निःशुल्क उपभोक्ता हेल्पलाईन नम्बर प्रदर्शित नहीं मिला, खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारो की ई–सूची दुकान पर उपलब्ध नहीं मिली, डीलर ने प्राधिकार पत्र निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किया, पॉस मशीन में स्टॉक रजिस्टर व पॉस में दर्ज स्टॉक में भिन्नता पायी गई। 1.85 क्विंटल गेहूॅ अधिक व 13.78 लीटर केरोसीन कम मिला।

15.7 किलोग्राम चीनी के फर्जी ट्रांजेक्शन किया जाना बताकर अपीलान्ट को विभागीय नोटिस दिया गया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिया गया। विभाग द्वारा एफ.आई.आर. थाना कोटड़ा में भी दर्ज करवायी गई। थानाधिकारी बेकरीया द्वारा 3/7 ईसी एक्ट के तहत बाद अनुसंधान कोई केस बनना नहीं पाये जाने से एफ.आर. दी गई। वक्त निरीक्षण अपीलान्ट की वितरण व्यवस्था के समय भी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। डीलर के खिलाफ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध नहीं बनता है। नाही किसी प्रकार का कोई अपराध कारीत किया गया हैं। नाही प्राधिकार पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया हैं। इसके उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.18 को आदेश पारित करते हुए प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या खण्ड 8 के तहत अपीलान्ट की प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश न्याय व विधि के विपरीत होकर बिना अधिकार के हैं। जबकि मौके पर पॉस मशीन के स्टॉक में व मौके के स्टॉक में अन्तर नहीं होते हुए भी दिया गया आदेश काबिल निरस्त के हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.18 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र एवं प्रतिभूति राशि बहाल रखायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वक्त निरीक्षण दिनांक 21.07.17 को अपीलान्ट द्वारा राशन उपभोक्ताओ को राशन वितरण कर रहा था। दुकान पर गॉव के काफी उपभोक्ता राशन लेने आये हुए थे। जिनसे वितरण व्यवस्था के संबंध मे जानकारी ली गई। किसी भी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। उक्त दिनांक को बारीश भी हो रही थी। राशन की दुकान में 1.085

क्विंटल गेहूँ अलग कट्टो में ज्यादा मिलना व केरोसीन कम मिलने से कालाबाजारी करने की शंका होने से कागजात तैयार कर प्रकरण बनाया गया। जबकि जो गेहूँ अधिक मिला वह उपभोक्ताओ द्वारा गेहूँ प्राप्त कर अपने कट्टो में अलग से एक कोने में रखे थे। इन उपभोक्ताओ को बारीश रूकने का इन्तजार था। बारीश के रूकते ही ये उपभोक्ता अपना गेहूँ ले जाते। परन्तु उस दिन लगातार बारीश हो रही थी। इन उपभोक्ताओ के मकान दुर दुरूस्त पहाड़ियों में स्थित होने से गेहूँ को ले जाते तो भीग कर खराब हो जाते। ऐसी स्थिति में गेहूँ दुकान में रखा गया था। जो उपभोक्ताओ का गेहूँ था। 13.78 लीटर केरोसीन कम बताया गया हैं। 13.78 लीटर केरोसीन सम्पूर्ण एक वर्ष की जॉच में कम मिला हैं। प्रायः केरोसीन भरवाते समय उपभोक्ताओ को वितरण करते समय एवं ड्रमो से वाष्पिकरण से क्षय भी होता रहता हैं। स्वयं राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 10.10.89 से स्पष्ट निर्देश दे रखे है कि किसी वस्तु के मामलें में 1.5 प्रतिशत तक के अन्तर पर प्रकरण नहीं बनाया जावें। छीजत के रूप में केरोसीन का हास्य रहता हैं। निरीक्षण अवधि में केरोसीन का प्रारम्भिक स्टॉक 126 लीटर आपूर्ति 9390 लीटर कुल केरोसीन 9516 लीटर केरोसीन में से 9535.78 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया। जो कम केरोसीन मौके पर मिला वह 13.78 लीटर मिला। जो इतना अन्तर नहीं है जिसके आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया जावें। केरोसीन की अन्तर राशि अपीलान्ट से वसूल की जा सकती थी। परन्तु ऐसा नहीं करके प्राधिकार पत्र ही निरस्त कर दिया गया। मौके पर अभिलेख के अनुसार 15.7 किलोग्राम चीनी का अधिक ट्रांजेक्शन किया जाना बताया गया हैं। जबकि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का फर्जी ट्रांजेक्शन नहीं किया गया हैं। यह केवल विभागीय जॉच कर पाया गया हैं। मौके पर स्टॉक व मुल्य बोर्ड प्रदर्शित कर रखा था। परन्तु बारीश से लिखा हुआ धुल गया था। खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारो की ई सूची उपलब्ध थी। वक्त निरीक्षण प्राधिकार पत्र मांगा ही नहीं गया था। पॉस मशीन के स्टॉक में व मौके के स्टॉक में कोई अंतर नहीं था तथा मशीन में स्टॉक का इन्द्राज सही तरीके से किया गया था। समय समय पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो आदेश दिये जाते है उनका

मुल उद्धेश्य व्यापार में बाधा एवं व्यापारियों को छोटी छोटी बातो के लिये तंग नहीं करना हैं। आवश्यक वस्तु के वितरण तथा किमतो के नियंत्रण मे व्यापारियो द्वारा अज्ञानतावश या भूल से कोई छोटी मोटी त्रुटिया की भी गई हो जिसमें उसकी दुर्भावना बिल्कुल नहीं होती हो ऐसे बिन्दु पर अनावश्यक रूप से मुकदमे नही बनाये जाने के निर्देश भी जिला कलक्टर को समय समय पर दिये जाते रहे हैं। इन सब निर्देशो का ज्ञान निरीक्षण दल को होते हुए भी अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर पुलिस थाना बेकरिया में एफ.आई.आर. संख्या 105/17 दिनांक 01.08.17 पंजीबद्ध करायी गई। थानाधिकारी बेकरिया द्वारा प्रकरण में विस्तृत एवं गहन अनुसंधान के उपरान्त अपने अनुसंधान में यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं की गई हैं। राशन वितरण में फर्जी ट्रांजेक्शन नहीं किया गया। प्रकरण को मात्र विभागीय जॉच का पाया गया। डीलर के खिलाफ धारा 3/7 ईसी एक्ट का अपराध नहीं बनना पाये जाने से एफ.आर. संख्या 27/17 दिनांक 30.11.17 न्यायालय श्रीमान सी.जे.एम.साहब उदयपुर में प्रस्तुत की गई। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट का कोई गलत मिनसरिया नहीं था। नाही उसका कोई अपराध करने का ईरादा था। नाही किसी प्रकार का अपराध कारीत किया गया। जॉच दल द्वारा सारी कार्यवाही बिना विस्तृत जॉच किये ही उन्हे प्रकरण बनाने थे जिस कारण से प्रकरण बना दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी गहन जॉच नहीं करते हुए मात्र एकतरफा निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए अपने आदेश दिनांक 10.05.18 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र 90 दिन के लिये दिनांक 24.07.17 को निलम्बन किया जाकर सेन्टर की राशन सामग्री वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। परन्तु 90 दिन समाप्त होते ही अपीलान्ट की वितरण व्यवस्था ना तो चालू की गई। करीबन 10 माह पश्चात् प्राधिकार पत्र को निरस्त करने का आदेश किया गया। जबकि माननीय उच्च न्यायालय की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 16264/2017 आदेश दिनांक 10.05.18 के अनुसार 90 दिन के लिये लाईसेन्स निलम्बित करते हुए भी एक वर्ष तक लाईसेन्स बहाल नहीं किये जाने से वितरण व्यवस्था तुरन्त चालु

करने का आदेश दिया गया हैं। अपने कथनो की ताईद में ईएफआर 2006(1) पेज 533, ईएफआर 2011(1) पेज 165, ईएफआर 2011(1) पेज 398, ईएफआर 2011(1) पेज 400 एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के एसबीसिविल रिट पिटीशन संख्या 16264/2017 खेमराज बनाम सरकार की नजीरे प्रस्तुत की गई।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस के कथनो में निवेदन किया कि वक्त निरीक्षण जॉच दल को स्टॉक के मुकाबले 1.085 क्विंटल गेहूॅ मौके पर गोदाम में अधिक मिला एवं केरोसीन का वितरण 13.78 लीटर भी कम मिला। मौके पर इस संबंध में डीलर द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। नाही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई। मौके पर प्राधिकार पत्र एवं गोदाम का प्रमाणित नक्शा मांगा गया। वह भी बताने में अपीलार्थी असफल रहा। पट्ट प्रदर्शन पर मुल्य स्टॉक अंकित किया हुआ नहीं था एवं नाही खाद्य सुरक्षा पात्र व्यक्तियों की ई–सूची दुकान पर उपलब्ध मिली। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर आरोप स्वतः साबित होने व वितरण में की गई अनियमितताओ के आधार पर प्राधिकार पत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हैं। जो उचित हैं। साथ में यह भी निवेदन किया गया कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र सशर्त दिया जाता हैं। यदि उन शर्तो का दुकानदार द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसे निरस्त किया जा सकता हैं। वितरण व्यवस्था दुकानदार पुनः प्राप्त करने की अधिकारीता नहीं रख सकता हैं। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमायी जावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन एवं प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अवलोकन किया गया। वक्त बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत राज्य सरकार के पत्र दिनांक 10.10.89 एवं एफ.आर. प्रति का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि

निरीक्षण दल द्वारा वक्त निरीक्षण 1.085 क्विंटल गेहूँ अपीलार्थी के गोदाम में अधिक होना बताया हैं। अधिनस्थ न्यायालय में इसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 25.09.17 जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 18 पर लगा हुआ हैं। जिसका वक्त निर्णय अवलोकन नहीं किया गया हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत एफ.आई.आर. की विस्तृत जॉच थानाधिकारी बेकरीया द्वारा की गई हैं। जिसके द्वारा भी अपीलार्थी पर आरोपित आरोप सही नहीं पाये गये। अपनी जॉच में अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जॉच की कार्यवाही ही की जाना बताया गया हैं। अपीलार्थी के खिलाफ धारा 3/7 ईसी एक्ट का अपराध नहीं बनना पाया गया। जिससे न्यायालय सी.जे.एम. साहब उदयपुर के न्यायालय में एफ.आर. नम्बर 27/17 दिनांक 30.11.17 को प्रस्तुत कर दी गई हैं। जहॉ केरोसीन 13.78 लीटर कम होना बताया गया हैं। इस संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.10.89 के अनुसरण में 1.5 प्रतिशत तक के अन्तर पर प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया जाना माना हैं। डीलर द्वारा कुल 9535.78 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया हैं। जिसमें इतना केरोसीन धूप से वाष्पीकरण, ड्रमो का लीकेज होना, वितरण के समय कुछ कम ज्यादा आदि कई कारणो से कम हो सकता हैं। जिस पर भी अपने निर्णय में कोई विवेचना नहीं की गई हैं। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.05.18 में भी यह उल्लेख किया है कि 90 दिन के लिये किसी उचित मुल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया हो तो ऐसे लाईसेन्स पर वितरण व्यवस्था तुरन्त चालु की जावें। हस्तगत प्रकरण में करीब 9 माह से अधिक समय के लिये प्राधिकार पत्र निलम्बित रखते हुए अपने आदेश दिनांक 10.05.18 से निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त परिस्थितियों में हम अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वितीय, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय को प्रथम दृष्ट्या तत्थ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटीपूर्ण पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर का आदेश दिनांक 10.05.18 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में

अपीलान्ट को उचित मूल्य की दुकान साण्डमारिया ए तहसील कोटड़ा की वितरण व्यवस्था पुनः प्रदान करते हुए नये सीरे से अपीलान्ट को सुनवाई का पुनः अवसर दिया जाकर उपलब्ध साक्ष्यो को दृष्टिगत रखते हुए गेहूँ के दिनांक 01.09.16 के प्रारम्भिक स्टॉक के संबंध में प्रमाणित साक्ष्यो के आधार पर जॉच कर प्रकरण में विधिक निर्णय नये सीरे से कार्यवाही करते हुए पारित करें।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर